

अनुसंधान प्रश्न

“भारत में आरटीआई आवेदन कैसे दाखिल करें, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कौन सी जानकारी मांगी जा सकती है और कौन सी नहीं, फीस, समयसीमा और अपील की प्रक्रिया क्या है, और छूट के दायरे पर अदालतों ने क्या कहा है?”

भारत में सूचना का अधिकार (RTI) आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया, समयसीमा, शुल्क, अपीलीय ढांचा और धारा 8 के तहत छूट के दायरे पर न्यायिक दृष्टिकोण का विश्लेषण

सारांश

भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कोई भी नागरिक धारा 6 के तहत लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 10 रुपये के निर्धारित शुल्क के साथ लोक सूचना अधिकारी (PIO) को आरटीआई आवेदन दाखिल कर सकता है। अधिनियम की धारा 7 के तहत आवेदन का निपटान 30 दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य है (जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित होने पर 48 घंटे), और इसके अनुपालन में विफलता या प्रतिकूल निर्णय होने पर धारा 19 के तहत प्रथम और द्वितीय अपील दायर की जा सकती है। सूचना के प्रकटीकरण से छूट का दायरा मुख्यतः धारा 8 के अधीन है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने *Central Public Information Officer, Supreme Court of India v. Subhash Chandra Agarwal* (2019) में स्पष्ट किया है कि यद्यपि पारदर्शिता लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु धारा 8(1)(j) के तहत व्यक्तिगत जानकारी (जैसे संपत्ति विवरण, आयकर रिटर्न या व्यक्तिगत चिकित्सा बिल) को तब तक प्रकट नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई ठोस सार्वजनिक हित प्रमाणित न हो।

सत्यापित मुकदमे	संविधियाँ	नवीनतम निर्णय
21 16 उच्च न्यायालय • 5 सर्वोच्च न्यायालय	4	2025 High Court of Delhi

विषय-सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	2
II. सांविधिक प्रावधान	5
III. चर्चित मुकदमे	7
IV. मुकदमे का विवरण	9

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्धरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत

01 आवेदन की वैधता और मामूली तकनीकी त्रुटियां

आरटीआई आवेदन के साथ संलग्न भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) में मामूली नाम संबंधी त्रुटियां या लिपिकीय दोष आवेदन खारिज करने का वैध कानूनी आधार नहीं बन सकते हैं, क्योंकि कानूनन केवल धारा 8 और 9 के तहत ही अस्वीकृति संभव है, जैसा कि *University of Delhi v. Neeraj (W.P.(C) 1091/2017)* (2025) में स्थापित किया गया है।

02 व्यक्तिगत जानकारी और निजता का संरक्षण (धारा 8(1)(j))

सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड, वार्षिक संपत्ति रिटर्न, अनुशासनात्मक कार्रवाई का इतिहास और आयकर विवरण धारा 8(1)(j) के तहत व्यक्तिगत जानकारी के दायरे में आते हैं और इन्हें सामान्यतः प्रकट नहीं किया जा सकता, बशर्ते कि कोई व्यापक सार्वजनिक हित सिद्ध न हो, जैसा कि *Girish Ramchandra Deshpande v. Central Information Commissioner* (2012) में प्रतिपादित किया गया है।

03 फाइल नोटिंग्स (File Notings) की स्थिति

सरकारी अधिकारियों द्वारा फाइलों पर व्यक्त किए गए विचार और टिप्पणियां (file notings) धारा 2(f) के तहत 'सूचना' की व्यापक परिभाषा में शामिल हैं और सहकर्मियों के बीच आधिकारिक टिप्पणियों को 'fiduciary relationship' (विश्वासपात्र संबंध) मानकर सुरक्षा नहीं दी जा सकती, जैसा कि *Union of India v. R.S. Khan* (2010) में स्पष्ट किया गया है।

04 धारा 8(2) का क्रांतिकारी अधिभावी प्रभाव (Overriding Effect)

आरटीआई अधिनियम की धारा 8(2) के तहत यदि किसी सूचना के प्रकटीकरण से होने वाला सार्वजनिक लाभ सुरक्षित हितों को होने वाली हानि से अधिक है, तो आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 या धारा 8(1) की छूटों के बावजूद सूचना प्रकट की जा सकती है, जैसा कि *Yashwant Sinha v. Central Bureau of Investigation* (2019) में माना गया है।

05 अपीलीय प्रक्रिया और द्वितीय अपील की स्वीकार्यता

यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (FAA) निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्णय देने में विफल रहता है, तब भी धारा 19(3) के तहत सूचना आयोग के समक्ष सीधे द्वितीय अपील दायर की जा सकती है और इसके लिए अंतिम आदेश की प्रतीक्षा करना अनिवार्य नहीं है, जैसा कि *Tashi Tsering v. The Arunachal Pradesh Information Commission* (2024) में माना गया है।

06 प्राकृतिक न्याय और तीसरे पक्ष (Third Party) की सुनवाई

जब भी आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी किसी तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत या व्यावसायिक गोपनीयता से संबंधित हो, तो धारा 19(4) के तहत संबंधित पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना प्रकटीकरण का कोई भी आदेश कानूनी रूप से अमान्य (vitiated) होगा, जैसा कि *T.K. Kumar v. Tamil Nadu Information Commission* (2023) में माना गया।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यद्यपि आरटीआई अधिनियम एक आवश्यक पारदर्शिता उपकरण है, परंतु संवैधानिक प्रावधान हमेशा अधिनियम के प्रावधानों पर अधिभावी रहेंगे; निवारक निरोध (preventive detention) जैसे संवेदनशील मामलों में गिरफ्तारी से पहले आधार की मांग आरटीआई के तहत नहीं की जा सकती, जैसा कि *Subhash Popatlal Dave v. Union of India* (2012) में प्रतिपादित किया गया है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने *Chief Information Commissioner v. State of Manipur* (2011) में यह स्पष्ट किया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई अस्वीकृति या अनुत्तर के विरुद्ध सीधे शिकायत (धारा 18) दायर करने के बजाय धारा 19 के तहत अपील ही एकमात्र वैधानिक और उचित उपचार है।

उच्च न्यायालय की भिन्नताएँ

उच्च न्यायालयों ने विशिष्ट मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने माना कि सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के वेतन और सेवा विवरण धारा 8(1)(j) के तहत निजता के नाम पर रोके नहीं जा सकते, जैसा कि *Jasmeet Kaur v. State of Uttarakhand* (2016) में निर्णय दिया गया था। इसके विपरीत, दिल्ली उच्च न्यायालय ने *Subhash Chandra Agarwal v. The Registrar, Supreme Court of India* (2015) में स्पष्ट किया कि न्यायाधीशों के व्यक्तिगत चिकित्सा बिलों और उपचार विवरणों का प्रकटीकरण उनकी निजता का अनुचित उल्लंघन होगा, भले ही वह सार्वजनिक धन से प्रतिपूर्ति किया गया हो। वहीं, *Public Information Officer v. Manohar Parrikar* (2011) में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि राज्यपाल का कार्यालय भी आरटीआई के तहत एक "सार्वजनिक प्राधिकरण" है।

हाल का विकास

हाल के कानूनी विकास के तहत, दिल्ली उच्च न्यायालय ने *Central Public Information Officer v. A. K. Jain* (2024) में पुनर्गठित किया कि आरटीआई अधिनियम की धारा 22 को उपभोक्ता संरक्षण नियमों जैसे अन्य कानूनों/विनियमों पर स्पष्ट अधिभावी प्रभाव (overriding effect) प्राप्त है।

अनिर्णीत क्षेत्र या चेतावनियाँ

गैर-विद्यमान या निजी जानकारी प्रकटीकरण की सीमा

लोक प्राधिकरणों को ऐसी जानकारी एकत्र या संश्लेषित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो उनके रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है या जिसे बनाए रखना कानूनन आवश्यक नहीं है, जैसा कि *S. Vijayalakshmi v. Union of India* (2011) में रेखांकित किया गया है। हालांकि, यदि कोई सार्वजनिक प्राधिकरण किसी विशिष्ट नियामक कानून के तहत किसी निजी संस्था से जानकारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार रखता है, तो उसे वह जानकारी प्राप्त करके आरटीआई आवेदक को प्रदान करनी होगी, जैसा कि *Telecom Regulatory Authority of India v. Kabir Shankar Bose* (2018) में स्पष्ट किया गया है।

व्यावसायिक और सुरक्षा संवेदनशीलता

मेट्रो जैसी सार्वजनिक अवसंरचनाओं के संरचनात्मक और इंजीनियरिंग चित्र सुरक्षा कारणों से प्रकट नहीं किए जा सकते, भले ही उसका कुछ हिस्सा सार्वजनिक डोमेन या इंटरनेट पर उपलब्ध हो, जैसा कि *Delhi Metro Rail Corporation Ltd. v. Sudhir Vohra* (2011) में चेतावनी दी गई है।

प्रक्रियात्मक अनिवार्यता

तीसरे पक्ष के व्यक्तिगत कर विवरणों का प्रकटीकरण बिना लिखित प्रक्रियात्मक अनुपालन और सुनवाई के किया जाता है तो वह प्राकृतिक न्याय के हनन के कारण अवैध घोषित होगा, जैसा कि *K. Chiranjeevi v. Union of India* (2023) में स्पष्ट किया गया है।

कारण दर्ज करने की अनिवार्यता

अर्ध-न्यायिक सूचना आयोगों को किसी भी आरटीआई प्रकटीकरण या इनकार के आदेश में स्पष्ट और तार्किक कारण दर्ज करने चाहिए; अस्पष्ट या बिना कारण वाले आदेशों को उच्च न्यायालयों द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, जैसा कि *Dr. Savita Sheoran v. State Information Commission, Haryana* (2023) में सचेत किया गया है।

II. सांविधिक प्रावधान 4 प्रावधान

SECTION 6, RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005 — REQUEST FOR OBTAINING INFORMATION

यह धारा आरटीआई आवेदन दायर करने की प्रक्रिया को रेखांकित करती है, जिसके तहत अनुरोध अंग्रेजी, हिंदी या क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्धारित शुल्क के साथ लोक सूचना अधिकारी (PIO) को भेजा जाना चाहिए। इसके तहत आवेदक को सूचना मांगने का कारण या अपनी संपर्क जानकारी के अलावा कोई अन्य व्यक्तिगत विवरण देने की आवश्यकता नहीं होती है।

"(1) A person, who desires to obtain any information under this Act, shall make a request in writing or through electronic means in English or Hindi or in the official language of the area in which the application is being made, accompanying such fee as may be prescribed, to-- (a) the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, of the concerned public authority; (b) the Central Assistant Public Information Officer or State Assistant Public Information Officer, as the case may be, specifying the particulars of the information sought by him or her... (2) An applicant making request for information shall not be required to give any reason for requesting the information or any other personal details except those that may be necessary for contacting him." उद्धृत: research प्रश्न में उठाया गया

SECTION 8, RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005 — EXEMPTION FROM DISCLOSURE OF INFORMATION

यह धारा उन श्रेणियों को निर्दिष्ट करती है जिन्हें सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, न्यायिक आदेश, विधायी विशेषाधिकार, व्यावसायिक गोपनीयता, विश्वासपात्र संबंध और व्यक्तिगत निजता को प्रभावित करने वाली जानकारी।

"8. Exemption from disclosure of information.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, there shall be no obligation to give any citizen,— (a) information, disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interests of the State, relation with foreign State or lead to incitement of an offence; (b) information which has been expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal or the disclosure of which may constitute contempt of court; (c) information, the disclosure of which would cause a breach of privilege of Parliament or the State Legislature; (d) information including commercial confidence, trade secrets or intellectual property, the disclosure of which would harm the competitive position of a third party, unless the competent authority is satisfied that larger public interest warrants the disclosure of such information; (e) information available to a person in his fiduciary relationship, unless the competent authority is satisfied that the larger public interest warrants the disclosure of such information; (f) information received in confidence from foreign Government; (g) information, the disclosure of which would endanger the life or physical safety of any person or identify the source of information or assistance given in confidence for law enforcement or security purposes; (h) information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders; (i) cabinet papers including records of deliberations of the Council of Ministers, Secretaries and other officers..." उद्धृत: research प्रश्न में उठाया गया

SECTION 19, RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005 — APPEAL

यह धारा प्रथम और द्वितीय अपील दायर करने की समयसीमा और तंत्र का निर्धारण करती है, यदि कोई आवेदक लोक सूचना अधिकारी (PIO) के निर्णय से व्यथित है या उसे समय पर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

"19. Appeal .—(1) Any person who, does not receive a decision within the time specified in sub-section (1) or clause (a) of sub -section (3) of section 7, or is aggrieved by a decision of the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, may within thirty days from the expiry of such period or from the receipt of such a decision prefer an appeal to such officer who is senior in rank to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer as the case may be, in each public authority... (3) A second appeal against the decision under sub -section (1) shall lie within ninety days from the date on which the decision should have been made or was actually received, with the Central Information Commission or the State Information Commission..." उद्धृत: research प्रश्न में उठाया गया

SECTION 7, RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005 — DISPOSAL OF REQUEST

यह धारा आरटीआई अनुरोध के निपटान की समयसीमा को निर्धारित करती है, जो सामान्यतः 30 दिन है, परंतु यदि मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो इसे 48 घंटे के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए।

"Section 7. Disposal of request (1) Subject to the proviso to sub-section (2) of section 5 or the proviso to sub-section (3) of section 6, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, on receipt of a request under section 6 shall, as expeditiously as possible, and in any case within thirty days of the receipt of the request, either provide the information on payment of such fee as may be prescribed or reject the request for any of the reasons specified in sections 8 and 9: Provided that where the information sought for concerns the life or liberty of a person, the same shall be provided within forty-eight hours of the receipt of the request." उद्धृत: research प्रश्न में उठाया गया

III. चर्चित मुकदमे

21 मुकदमे • सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>Public Information Officer v. A.P. Information Commissioner</i> HBHC010621162008	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2008	आरटीआई अधिनियम के तहत परिभाषित सूचनाओं के प्रकटीकरण पर कोई अंतर्निहित सामान्य रोक नहीं है।
02	<i>Jasmeet Kaur v. State of Uttarakhand</i> UKHC010075882016	HIGH COURT OF UTTARAKHAND	2016	सार्वजनिक स्कूल के शिक्षक का वेतन और सेवा विवरण व्यक्तिगत छूट के तहत संरक्षित नहीं है।
03	<i>Subhash Popatlal Dave v. Union of India</i> ESCR010006162012	SUPREME COURT OF INDIA	2012	निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी से पहले आधार का खुलासा आरटीआई कानून के दायरे से बाहर है।
04	<i>Subhash Chandra Agarwal v. The Registrar, Supreme Court of India</i> DLHC010275022015	HIGH COURT OF DELHI	2015	न्यायाधीशों के व्यक्तिगत चिकित्सा व्यय और उपचार विवरण धारा 8(1)(j) के तहत निजता के कारण सुरक्षित हैं।
05	<i>Girish Ramchandra Deshpande v. Central Information Commissioner</i> ESCR010005112012	SUPREME COURT OF INDIA	2012	सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड, संपत्ति रिटर्न और आयकर विवरण व्यक्तिगत श्रेणी के तहत संरक्षित हैं।
06	<i>Central Public Information Officer v. A. K. Jain</i> DLHC011111702016	HIGH COURT OF DELHI	2024	आरटीआई अधिनियम की धारा 22 उपभोक्ता संरक्षण विनियमों जैसे अन्य कानूनों पर अधिभावी प्रभाव रखती है।
07	<i>T.K. Kumar v. Tamil Nadu Information Commission</i> HCMA011099652021	MADRAS HIGH COURT	2023	धारा 19(4) के तहत तीसरे पक्ष की सूचना के प्रकटीकरण से पहले उसे सुनना अनिवार्य है।
08	<i>Public Information Officer v. Manohar Parrikar</i> HCBM050013382011	BOMBAY HIGH COURT	2011	राज्यपाल का कार्यालय लोक प्राधिकरण है और पीआईओ आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है।
09	<i>Union of India v. R.S. Khan</i> DLHC010931632009	HIGH COURT OF DELHI	2010	फाइल नोटिंग्स सूचना हैं और सहकर्मियों के बीच आधिकारिक टिप्पणियां विश्वासपात्र संबंध नहीं हैं।
10	<i>Central Public Information Officer, Supreme Court of India v. Subhash Chandra Agarwal</i> ESCR010004002019	SUPREME COURT OF INDIA	2019	सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई एक ही लोक प्राधिकरण हैं; व्यक्तिगत संपत्ति का खुलासा निजता के अधीन है।
11	<i>Yashwant Sinha v. Central Bureau of Investigation</i> ESCR010007732019	SUPREME COURT OF INDIA	2019	धारा 8(2) के तहत जनहित में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की छूटों को निष्प्रभावी किया जा सकता है।
12	<i>Secretary General, Supreme Court of India v. Subhash Chandra Agarwal</i> DLHC011551232009	HIGH COURT OF DELHI	2010	आरटीआई का अन्य कानूनों पर अधिभावी प्रभाव है; न्यायाधीशों के संपत्ति घोषणा की मौजूदगी प्रकट की जा सकती है।

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
13	<i>University of Delhi v. Neeraj (W.P.(C) 1091/2017)</i> DLHC010457552017	HIGH COURT OF DELHI	2025	शुल्क भुगतान उपकरण (IPO) में मामूली लिपिकीय त्रुटियों के आधार पर आरटीआई खारिज करना अवैध है।
14	<i>University of Delhi v. Neeraj (W.P.(C) 1095/2017)</i> DLHC010457282017	HIGH COURT OF DELHI	2025	तकनीकी दोष वाले शुल्क साधनों को अस्वीकार करना आरटीआई के तहत सूचना देने से अनुचित इनकार है।
15	<i>Dr. Savita Sheoran v. State Information Commission, Haryana</i> PHHC011056812019	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2023	अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों को किसी सूचना को रोकने या प्रकट करने के लिए स्पष्ट कारण देने होंगे।
16	<i>Chief Information Commissioner v. State of Manipur</i> ESCR010002032011	SUPREME COURT OF INDIA	2011	जवाब न मिलने पर धारा 19 के तहत अपील ही कानूनी उपाय है, न कि सीधे शिकायत।
17	<i>Tashi Tsering v. The Arunachal Pradesh Information Commission</i> GAHC040012462024	GAUHATI HIGH COURT	2024	प्रथम अपील पर निर्णय की अनुपस्थिति में भी निर्धारित समय के बाद द्वितीय अपील संभव है।
18	<i>S. Vijayalakshmi v. Union of India</i> HCMA010338872011	MADRAS HIGH COURT	2011	जो जानकारी रिकॉर्ड में नहीं है या कानूनन आवश्यक नहीं है, उसे तैयार करने की बाध्यता नहीं।
19	<i>Telecom Regulatory Authority of India v. Kabir Shankar Bose</i> DLHC014175692018	HIGH COURT OF DELHI	2018	लोक प्राधिकरण को निजी संस्था से कानूनी रूप से सुलभ जानकारी आरटीआई आवेदक को प्रदान करनी होगी।
20	<i>Delhi Metro Rail Corporation Ltd. v. Sudhir Vohra</i> DLHC010135242011	HIGH COURT OF DELHI	2011	सुरक्षा के लिए संवेदनशील या व्यावसायिक रूप से गोपनीय संरचनात्मक रेखाचित्रों को रोका जा सकता है।
21	<i>K. Chiranjeevi v. Union of India</i> HCMA010168042009	MADRAS HIGH COURT	2023	तीसरे पक्ष के व्यक्तिगत आयकर और पारिश्रमिक विवरणों को बिना सुनवाई के प्रकट नहीं किया जा सकता।

IV. मुकदमे का विवरण 21 केस फ़ाइलें

01 Public Information Officer v. A.P. Information Commissioner

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2008-12-04 • WP/16717/2008

यह मामला 'Right to Information Act, 2005' के तहत 'Muntakhab' (एक सरकारी उत्तराधिकार दस्तावेज) की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के अधिकार से संबंधित है। याचिकाकर्ता अधिकारियों ने यह कहकर प्रति देने से इनकार कर दिया था कि आवेदक कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है और यह दस्तावेज सार्वजनिक नहीं है।

निर्णय न्यायालय ने माना कि आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने की वैधानिक व्यवस्था में कोई भी अंतर्निहित अपवर्जन (implied bar) शामिल नहीं है। जब तक मांगी गई जानकारी धारा 8 के तहत विशिष्ट छूट श्रेणियों में नहीं आती, तब तक लोक प्राधिकरण उसे रोकने का कोई अन्य बहाना नहीं बना सकता।

“Sections 8, 9 and 10 of RTI Act are one group of provisions, which provide for exemption from disclosure of information and grounds for rejection to access in certain cases as well as method of applying principle of severability. Section 8(1) of RTI Act is relevant and reads as under. 8. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, there shall be no obligation to give any citizen,— (a) information, disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interests of the State, relation with foreign State or lead to incitement of an offence; (b) information which has been expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal or the disclosure of which may constitute contempt of court; (c) information, the disclosure of which would cause a breach of privilege of Parliament or the State Legislature; (d) information including commercial confidence, trade secrets or intellectual property, the disclosure of which would harm the competitive position of a third party, unless the competent authority is satisfied that larger public interest warrants the disclosure of such information; (e) information available to a person in his fiduciary relationship, unless the competent authority is satisfied that the larger public interest warrants the disclosure of such information; (f) information received in confidence from foreign Government; (g) information, the disclosure of which would endanger the life or physical safety of any person or identify the source of information or assistance given in confidence for law enforcement or security purposes; (h) information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders; (i) cabinet papers including records of deliberations of the Council of Ministers, Secretaries and other officers: Provided that the decisions of Council of Ministers, the reasons thereof, and the material on the basis of which the decisions were taken shall be made public after the decision has been taken, and the matter is complete, or over: Provided further that those matters which come under the exemptions specified in this section shall not be disclosed; (j) information which relates to personal information the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information: Provided that the information which cannot be denied to the Parliament or a State Legislature shall not be denied to any person. Parliament has expressed very clearly on information about which there is no obligation to give such information to any citizen. Even with regard to exemption material under Section 8(1) of RTI Act, as per Section 8(2) of RTI Act, if public interests in disclosure outweighs productive interests, public authority may allow access to information notwithstanding exemptions under Section 8(1) of RTI Act or Official Secrets Act. Section 9 of RTI Act prohibits giving information, which involves infringement of copy right. Under Section 9 of RTI Act, even with regard to exempted information, if a document contains information which is not exempt, public authority may decline to grant exempted information and allow access to other information, which is not exempted. The overview of RTI Act especially Sections 6, 7, 8 read with Sections 2(f) and 2(i) of RTI Act, leads to conclusion that endeavour of legislation is to harmonise conflicting public and private interests. If information is available with public authority, unless and until it is one of the categories mentioned in Section 8(1), there should not be any objection for furnishing information subject to procedural compliance under RTI Act. Even the information regarding private persons can also be made available after Section 11 of RTI Act is complied with. Theory of ‘implied bar’ does not apply to a Law, which is made to give full scope to fundamental rights. Section 3 of RTI Act, which confers on every citizen the right to information is manifestation of fundamental rights under Article 19(1)(a) of Constitution. Unless such a right is curtailed by Law made by competent Legislature, by executive constructions the purpose of Law cannot be defeated. Parliament has exempted

only certain categories of documents as enumerated under Section 8 of RTI Act with regard to which there is no obligation to furnish information. Explicit exemption of documents under Section 8(1) of RTI Act conclusively presupposes that RTI Act does not impliedly bar furnishing of information with regard to any information as defined under Section 2(f) read with 2(i) of RTI Act. Next question is whether a Muntakhab can be given only to legal heir of such Muntakhab holder?"

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2008

स्रोत HBHC010621162008

02 Jasmeet Kaur v. State of Uttarakhand

HIGH COURT OF UTTARAKHAND • 2016-09-07 • WPMS/2489/2016

यह मामला एक सरकारी शिक्षिका द्वारा दायर की गई याचिका से संबंधित है, जिन्होंने अपने पति द्वारा RTI Act के तहत मांगी गई अपनी वेतन और पोस्टिंग संबंधी जानकारी का विरोध किया था। याचिकाकर्ता का तर्क था कि यह जानकारी व्यक्तिगत है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि RTI Act के तहत सरकारी विद्यालय एक 'public authority' हैं। न्यायालय ने निर्णय दिया कि RTI Act की धारा 8(1)(j) के तहत मांगी गई जानकारी व्यक्तिगत नहीं है और यह किसी भी प्रकार से छूट (exemption) के दायरे में नहीं आती है। तदनुसार, न्यायालय ने याचिका को गलत और निराधार मानते हुए खारिज कर दिया।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि एक सरकारी कर्मचारी के वेतन और पोस्टिंग से संबंधित जानकारी लोक प्राधिकरण की सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़ी है। इस तरह के विवरण को व्यक्तिगत निजता के संरक्षण के आधार पर धारा 8(1)(j) के तहत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त नहीं हो सकती।

“The only exception as to the information is given under the Act under Section 8 of the RTI 3 Act, which is an exemption from disclosure of information. Section 8 of the RTI Act reads as under:- “8. Exemption from disclosure of information- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, there shall be no obligation to give any citizen- (a) information, disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interests of the State, relation with foreign State or lead to incitement of an offence; (b) information which has been expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal or the disclosure of which may constitute contempt of court; (c) information, the disclosure of which would cause a breach of privilege of Parliament or the State Legislature; (d) information including commercial confidence, trade secrets or intellectual property, the disclosure of which would harm the competitive position of a third party, unless the competent authority is satisfied that larger public interest warrants the disclosure of such information; (e) information available to a person in his fiduciary relationship, unless the competent authority is satisfied that the larger public interest warrants the disclosure of such information; (f) information received in confidence from foreign government; (g) information, the disclosure of which would endanger the life or physical safety of any person or identify the source of information or assistance given in confidence for law enforcement or security purposes; (h) information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders; (i) cabinet papers including records of deliberations of the Council of Ministers, Secretaries and other officers: Provided that the decisions of Council of Ministers, the reasons thereof, and the material on the basis of which the decisions were taken shall be made public after the decision has been taken, and the matter is complete, or over: Provided further that those matters which come under the exemptions specified in this section shall not be disclosed; (j) information which relates to personal information the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information: Provided that the information, which cannot be denied to the Parliament or a State Legislature shall not be denied to any person. (2) Notwithstanding anything in the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923) nor any of the exemptions permissible in accordance with sub-section (1), a public authority may allow access to information, if public interest in disclosure outweighs the harm to the protected interests. (3) Subject to the provisions of clauses (a), (c) and (i) of sub-section (1), any information relating to any occurrence, event or matter which has taken place, occurred or happened twenty years before the date on which any request is made under section 6 shall be provided to any person making a request under that section: Provided that where any question arises as to the date from which the said period of twenty years has to be computed, the decision of the Central Government shall be final, subject to the usual appeals provided for in this Act.” 7. We have already seen the nature of information sought by respondent No. 8 (husband of the petitioner) and it is not covered under any of the exemption given under Section 8 of the RTI Act. 8. In view thereof, no interference can be made in the present writ petition. The writ petition is totally misconceived and is hereby dismissed.”

HIGH COURT OF UTTARAKHAND • 2016

स्रोत UKHC010075882016

03 Subhash Popatlal Dave v. Union of India

SUPREME COURT OF INDIA • 2012-07-10 • 2012 INSC 276

यह मामला निवारक निरोध (preventive detention) के तहत गिरफ्तारी से पहले grounds of detention प्रदान करने और गिरफ्तारी से पूर्व detention order को चुनौती देने की गुंजाइश से संबंधित है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि RTI Act के प्रावधान संविधान के Article 22(5) पर प्रभावी नहीं हो सकते, इसलिए राज्य गिरफ्तारी से पहले आधार बताने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Alka Subhash Gadia मामले में उल्लिखित पाँच अपवाद, जिनके आधार पर pre-execution stage पर चुनौती दी जा सकती है, केवल उदाहरण (illustrative) थे न कि पूर्ण (exhaustive)। न्यायालय की judicial review की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हालांकि आरटीआई अधिनियम की धारा 8 छूट प्रदान करती है और धारा 8(2) जनहित के आधार पर छूटों को दरकिनार करने की अनुमति देती है, परंतु इस वैधानिक अधिकार को संवैधानिक सुरक्षा (जैसे निवारक निरोध से जुड़े संवैधानिक सिद्धांतों) से ऊपर नहीं रखा जा सकता।

“Section 3 of the R.T.I. Act, 2005, provides that subject to the provisions of the Act, all citizens would have the c right to information. Section 8, however, makes, an exemption from disclosure of information. While setting out the instances in which there would be no obligation 'to give any citizen information in the situations enumerated in Sub-Section (1), Sub-Section (2) provides that notwithstanding anything in the Official Secrets Act, 1923, nor any of the exemptions permissible in accordance with Sub-Section (1), a public authority may allow access to information, if public interest in disclosure outweighs the harm to the protected interests. There are two instances, which one can think of among the exemptions identified in Sub-Section (1), of which one is the exemption indicated in clause (a) of Sub-Section (1), which reads as follows :- \"8(1). Notwithstanding anything contained in this Act, there shall be no obligation to give any citizen,- (a) (b) 0) information, disclosure of which would prejudicisly affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interests of the State, relation with foreign State or lead to incitement of an offence; to (i) xxx xxx xxx information which relates to personal information the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual, unless the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information: Provided that the information which cannot be denied to the Parliament or a State Legislature shall not be denied to any person.\"”

SUPREME COURT OF INDIA • 2012

स्रोत ESCR010006162012

94 Subhash Chandra Agarwal v. The Registrar, Supreme Court of India

HIGH COURT OF DELHI • 2015-04-17 • LPA/34/2015

यह मामला RTI Act के तहत न्यायाधीशों के निजी चिकित्सा खर्चों के विवरण के प्रकटीकरण से संबंधित था। अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा प्राप्त चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी मांगी थी। न्यायालय ने माना कि यह जानकारी व्यक्तिगत है और इसके प्रकटीकरण से निजता का अनुचित उल्लंघन होगा। न्यायालय ने दोहराया कि RTI Act के तहत Section 8(1)(j) के अंतर्गत ऐसी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित है। चूँकि अपीलकर्ता यह सिद्ध करने में विफल रहा कि इस जानकारी को साझा करने में कोई व्यापक जनहित शामिल है, इसलिए न्यायालय ने माना कि इस तरह के विवरण का खुलासा करने का कोई औचित्य नहीं है। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया कि Section 19(8)(a)(iv) का उपयोग नई जानकारी बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। अंततः, न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के निर्णय को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी न्यायाधीश या सार्वजनिक सेवा में कार्यरत व्यक्ति के व्यक्तिगत चिकित्सा बिलों, उपचारों और दवाओं का विवरण पूर्णतः व्यक्तिगत जानकारी है। ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण उनकी निजता का अनुचित उल्लंघन होगा, इसलिए यह धारा 8(1)(j) के तहत सुरक्षित है।

“While taking note of the fact that the information sought by the respondent/appellant herein was with regard to expenses incurred on medical facilities of judges retired as well as serving and that the said information is personal information which is exempted from disclosure under Section 8(1)(j) of the RTI Act and that the medical bills would indicate the treatment and/or medicines required by individuals and the same would clearly be an invasion of the privacy, the learned Single Judge held that the question of issuing any directions under Section 19(8)(a)(iv) of the Act to facilitate access to such information does not arise.”

HIGH COURT OF DELHI • 2015

स्रोत DLHC010275022015

05 Girish Ramchandra Deshpande v. Central Information Commissioner

SUPREME COURT OF INDIA • 2012-10-03 • 2012 INSC 445

यह मामला Right to Information Act, 2005 की धारा 8(1)(j) की व्याख्या से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने एक सरकारी अधिकारी (तीसरे प्रतिवादी) के सेवा रिकॉर्ड, जैसे कि अनुशासनात्मक कार्रवाई, वेतन, संपत्ति का विवरण, और आयकर रिटर्न से संबंधित जानकारी मांगी थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी का सेवा विवरण, कार्य प्रदर्शन, और वित्तीय जानकारी 'personal information' के दायरे में आती हैं। इनका खुलासा करने से व्यक्ति की निजता का अनुचित उल्लंघन होता है और इनका किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से सीधा संबंध नहीं है। न्यायालय ने माना कि जब तक कोई ठोस सार्वजनिक हित साबित न हो, ऐसी संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने की बाध्यता नहीं है। परिणामस्वरूप, याचिका खारिज कर दी गई।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी कर्मचारी को जारी किए गए मेमो, कारण बताओ नोटिस और अनुशासनात्मक कार्यवाही के बाद दी गई सजा/संस्तर आदि के विवरण "व्यक्तिगत जानकारी" हैं। यह नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का मामला है, जिसका किसी सार्वजनिक गतिविधि से सीधा संबंध नहीं होता।

“We are in agreement with the CIC and the courts below that the details called for by the petitioner i.e. copies of all memos issued to the third respondent, show cause notices and orders of censure/punishment etc. are qualified to be personal information as defined in clause U) of Section 8(1) of the RTI Act. The performance of an employee/officer in an organization is primarily a matter between the employee and the employer and normally those aspects are governed by the service rules which fall under the expression “personal information”, the disclosure of which has no relationship to any public activity or public interest. On the other hand, the disclosure of which would cause unwarranted invasion of privacy of that individual.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2012

स्रोत ESCR010005112012

06 Central Public Information Officer v. A. K. Jain

HIGH COURT OF DELHI • 2024-07-26 • W.P.(C)/3032/2016

यह मामला RTI Act, 2005 के तहत सूचना के प्रकटीकरण से संबंधित है। एक तीसरे पक्ष ने NCDRC से एक लंबित मामले की केस फाइल और दस्तावेजों की प्रतियां मांगी थीं, जिसे CPIO ने Regulation 21 of the Consumer Protection Regulations, 2005 का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया था। NCDRC का तर्क था कि केवल मामले से जुड़े पक्ष ही दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। CIC ने इस आदेश को पलटते हुए कहा कि RTI Act, 2005 के Section 22 में अन्य कानूनों पर प्रभावी होने (overriding effect) का प्रावधान है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस विवाद को सुलझाते हुए इस मामले में आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट की है।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरटीआई अधिनियम की धारा 22 के तहत इसके प्रावधानों को किसी भी अन्य असंगत कानून या नियम (जैसे उपभोक्ता संरक्षण नियम) पर पूर्ण प्राथमिकता और अधिभावी प्रभाव (overriding effect) प्राप्त है।

“Act to have overriding effect.—The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923), and any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.” 7. The RTI Act provides for exemption from disclosure of information under Section 8 of the RTI Act. This Court at the outset notes that Section 8(1)(j) of the RTI Act has undergone an amendment. However, such an amendment was introduced in 2023 which is subsequent to the RTI proceedings in the present case.”

HIGH COURT OF DELHI • 2024

स्रोत DLHC01111702016

07 T.K. Kumar v. Tamil Nadu Information Commission

MADRAS HIGH COURT • 2023-12-08 • WP/19232/2021

यह मामला 'Right to Information Act, 2005' के तहत थर्ड-पार्टी की जानकारी के प्रकटीकरण से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी कि Tamil Nadu Information Commission ने बिना उन्हें सुने ही उनकी व्यावसायिक जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दे दिया था। न्यायालय ने माना कि Section 19(4) के तहत, जब जानकारी किसी 'third party' से संबंधित हो, तो उसे अपील के दौरान सुनवाई का उचित अवसर देना अनिवार्य है। सुनवाई का अवसर न देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और आदेश को vitiate करता है। तदनुसार, न्यायालय ने आदेश को रद्द कर दिया और संबंधित अधिकारी को सुनवाई के अवसर के साथ मामले को फिर से तय करने का निर्देश दिया।

निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि आरटीआई अधिनियम की धारा 19(4) के तहत अपीलीय प्राधिकारियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे किसी तीसरे पक्ष की जानकारी को प्रकट करने का आदेश देने से पहले उस पक्ष को सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान करें।

“There is nothing to show from the materials placed on record that the requisite notice with opportunity of hearing has been afforded by the First Respondent to the Petitioners before passing the impugned order, which consequently vitiates it. ...” Scheme of Sections 8 and 11:- 257. Section 8(1) begins with a non obstante phrase “Notwithstanding anything contained in this Act”. The import of this phrase is that sub-section (1) of Section 8 carves out an exception to the general obligation to disclose under the RTI Act.”

MADRAS HIGH COURT • 2023

स्रोत HCMA011099652021

08 Public Information Officer v. Manohar Parrikar

BOMBAY HIGH COURT • 2011-11-14 • WP/237/2011

यह मामला 'Right to Information Act, 2005' के तहत सूचना तक पहुंच के अधिकार से संबंधित था। इसमें मुख्य प्रश्न यह था कि क्या राज्यपाल (Governor) का सचिवालय एक 'public authority' है और क्या वे सूचना के अधिकार के दायरे में आते हैं। साथ ही, क्या एक Public Information Officer (PIO), जो स्वयं निर्णय लेने वाली एक अर्ध-न्यायिक (quasi-judicial) इकाई के रूप में कार्य करता है, उच्च अपीलीय प्राधिकरण यानी Goa State Information Commission (GSIC) के निर्णयों को अदालत में चुनौती दे सकता है।

निर्णय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि संवैधानिक पदों जैसे राज्यपाल का सचिवालय आरटीआई अधिनियम की धारा 2(h) के तहत "लोक प्राधिकरण" हैं। न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि पीआईओ स्वयं सूचना आयोग के प्रतिकूल आदेशों को चुनौती दे सकता है।

"From the provisions of the RTI Act, it is clear that the decision whether the information asked for by the applicant can be disclosed or exempt from disclosure under sections 8 or 9 of the RTI Act is to be taken by the PIO and not by the \"public authority\"... Section 19 provides for an appeal against a decision of the PIO to the first appellate authority and a further appeal against a decision of the first 23 WP 478/2008 appellate authority to the Information Commission."

BOMBAY HIGH COURT • 2011

स्रोत HCBM050013382011

09 Union of India v. R.S. Khan

HIGH COURT OF DELHI • 2010-10-07 • W.P.(C)/9355/2009

यह मामला RTI Act, 2005 के तहत सरकारी फाइलों में दर्ज 'file notings' के प्रकटीकरण से संबंधित है। याचिकाकर्ता (Union of India) ने अनुशासनात्मक कार्यवाही से जुड़ी फाइल टिप्पणियों को साझा करने से मना कर दिया था, जिसे CIC ने गलत माना। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि Section 2(f) के तहत 'information' की परिभाषा व्यापक है और इसमें file notings शामिल हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों के बीच आधिकारिक कार्यों के दौरान बनी टिप्पणियाँ Section 8(1)(e) के तहत 'fiduciary relationship' में नहीं आतीं। अतः, न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि एक सरकारी कर्मचारी को उसके विरुद्ध कार्यवाही से संबंधित सामग्री तक पहुँच का अधिकार है, क्योंकि यह सार्वजनिक गतिविधि का हिस्सा है।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि आरटीआई अधिनियम की धारा 2(f) के तहत 'सूचना' की व्यापक परिभाषा में आधिकारिक फाइल नोटिंग्स (टिप्पणियाँ) भी शामिल हैं। सरकारी सेवा में सहकर्मियों द्वारा एक-दूसरे के कार्य निष्पादन पर की गई टिप्पणियाँ किसी विश्वासपात्र संबंध (fiduciary relationship) के तहत सुरक्षित नहीं की जा सकतीं।

"As regards the first point urged, this Court is unable to accept the submission made on behalf of the Union of India that file notings, which are in the form of the views and comments expressed by the various officials dealing with the files, are not included within the definition of „information“ under Section 2 (f) of the RTI Act, 2005. ... This Court concurs with the view expressed by the CIC that in the context of a government servant performing official functions and making notes on a file about the performance or conduct of an other officer, such noting cannot be said to be given to the government pursuant to a 'fiduciary relationship' with the government within the meaning of Section 8(1)(e) of the RTI Act, 2005."

HIGH COURT OF DELHI • 2010

स्रोत DLHC010931632009

10 Central Public Information Officer, Supreme Court of India v. Subhash Chandra Agarwal

SUPREME COURT OF INDIA • 2019-11-13 • 2019 INSC 1233

यह मामला Right to Information Act, 2005 के तहत न्यायिक पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में है। प्रतिवादी ने Supreme Court of India से न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणा, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित फाइल नोटिंग्स और एक Union Minister द्वारा न्यायिक निर्णय को

प्रभावित करने के प्रयास से जुड़ी जानकारी मांगी थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Supreme Court of India और Chief Justice of India कोई अलग 'public authorities' नहीं हैं, बल्कि वे एक ही संस्थान हैं। न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणा 'information' की श्रेणी में आती है और इसे साझा करना निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। अन्य मांगी गई जानकारी के लिए, न्यायालय ने मामले को पुनः जांच के लिए वापस भेजा ताकि Section 11(1) के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया जा सके।

निर्णय संविधान पीठ ने माना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय सर्वोच्च न्यायालय से पृथक नहीं है और आरटीआई के दायरे में आता है। संपत्ति की घोषणाओं की मौजूदगी का खुलासा निजता को प्रभावित नहीं करता, परंतु घोषणा के विवरण का प्रकटीकरण करते समय धारा 8(1)(j) के अंतर्गत जनहित और धारा 11(1) के अंतर्गत तीसरे पक्ष की प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।

“The Chief Justice of India in exercising his official functions in accordance with the 1997 resolution while holding asset information of other judges does not act for and on behalf of other judges of the Supreme Court. There exists no fiduciary relationship between them... The Chief Justice of India merely holds the information in accordance with the official functions and not in any fiduciary capacity... Clause (j) of Section 8(1) provides a qualified exemption from disclosure where the information sought relates to “personal information the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest” or the disclosure of the information would cause an “unwarranted invasion of the privacy”. However, the exemption may be overridden where the Information Officer is “satisfied that the larger public interest justifies the disclosure”.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2019

स्रोत ESCR010004002019

11 Yashwant Sinha v. Central Bureau of Investigation

SUPREME COURT OF INDIA • 2019-04-10 • 2019 INSC 505

यह मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई कुछ दस्तावेजों की स्वीकार्यता और विशेषाधिकार (privilege) के दावों से संबंधित है। प्रतिवादियों ने तर्क दिया था कि समीक्षा याचिका के साथ संलग्न दस्तावेज अनधिकृत रूप से रक्षा मंत्रालय से प्राप्त किए गए थे और Official Secrets Act, 1923 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। न्यायालय ने इस प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि उक्त दस्तावेज पहले से ही सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुके थे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Section 123 of the Evidence Act, 1872 के तहत विशेषाधिकार का दावा सार्वजनिक हित पर आधारित होना चाहिए। चूंकि ये दस्तावेज सार्वजनिक डोमेन में हैं, इसलिए न्यायालय ने माना कि इन पर विचार न करना निरर्थक होगा। न्यायालय ने समीक्षा याचिकाओं को उनके गुण-दोष के आधार पर सुनने का निर्णय लिया।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8(2) एक ऐतिहासिक विधिक क्रांति की तरह है। इसके तहत यदि जनहित में जानकारी प्रकट करना अधिक महत्वपूर्ण है, तो न केवल धारा 8(1) की छूटें बल्कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के कड़े प्रतिबंध भी सूचना तक पहुंच के रास्ते में बाधा नहीं बन सकते।

“Section 8(2) of the Act manifests a legal revolution that has been introduced in that, none of the exemptions declared under sub-section(1) of Section 8 or the Official Secrets Act, 1923 can stand in the way of the access to information if the public interest in disclosure overshadows, the harm to the protected interests.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2019

स्रोत ESCR010007732019

12 Secretary General, Supreme Court of India v. Subhash Chandra Agarwal

HIGH COURT OF DELHI • 2010-01-12 • LPA/501/2009

यह मामला सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act), 2005 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणा से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण के बारे में है। प्रतिवादी ने RTI आवेदन के माध्यम से यह जानकारी मांगी थी कि क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने 1997 के संकल्प के अनुसार अपनी संपत्ति की घोषणा की है। केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने इस जानकारी को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय को चुनौती देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों ने तर्क दिया कि यह जानकारी विश्वास (fiduciary relationship) पर आधारित है और न्यायाधीशों की निजता का उल्लंघन करती है। उच्च न्यायालय ने इस विवाद पर पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही के सिद्धांतों पर विचार किया।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने निर्णय दिया कि आरटीआई अधिनियम की धारा 22 इसे अन्य सभी परस्पर विरोधी कानूनों (जैसे आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923) पर अधिभावी शक्ति प्रदान करती है। न्यायाधीशों द्वारा की गई संपत्ति की स्वैच्छिक घोषणा की जानकारी आरटीआई के तहत मांगी जा सकती है।

“Exemptions from disclosure of information are contained in Section 8 of the Act and that provision starts with a non-obstante clause. ... Section 22 of the Act provides that the provisions of the Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent contained in the Official Secrets Act, 1923 and any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than the RTI Act.”

HIGH COURT OF DELHI • 2010

स्रोत DLHC011551232009

13 University of Delhi v. Neeraj (W.P.(C) 1091/2017)

HIGH COURT OF DELHI • 2025-08-25 • W.P.(C)/1091/2017

यह मामला RTI Act के तहत व्यक्तिगत छात्रों की परीक्षा जानकारी के प्रकटीकरण से संबंधित था। Delhi High Court के समक्ष कुछ RTI कार्यकर्ताओं ने इन याचिकाओं में हस्तक्षेप करने के लिए आवेदन किया, जिसमें वे Central Information Commission के आदेशों को चुनौती दे रहे थे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हस्तक्षेप की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब मामले आपस में जुड़े हों और निर्णय का प्रभाव सभी पर पड़े, जो यहाँ नहीं था। न्यायालय ने माना कि ये याचिकाएँ 'public interest litigation' नहीं हैं और हस्तक्षेप करने वाले आवेदकों के पास कोई कानूनी अधिकार (locus standi) नहीं है। अतः, न्यायालय ने इन आवेदनों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह मामला केवल संबंधित पक्षों के बीच 'in personam' है।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लोक प्राधिकरणों को आरटीआई अधिनियम में स्पष्ट रूप से दी गई छूटों के बाहर नए आधारों को तलाशने या थोपने की कोई छूट नहीं है। पोस्टल ऑर्डर में मामूली नाम संबंधी कमियाँ (जैसे PIO नाम लिखने मात्र से) आवेदन को अमान्य नहीं बनाती, और मामूली शुल्क त्रुटियों पर आवेदनों को खारिज करना गैर-कानूनी अस्वीकृति है।

“The public authority cannot impose exemptions and substitute new or additional grounds other than those provided in the RTI Act. The Act leaves no such liberty with the public authorities and PIOs to read law beyond what it is stated explicitly. There is absolutely no ambiguity in the Act and tinkering with it in the name W.P.(C) 600/2017 & Connected Matters Page 40 of 175 of larger public interest is beyond the scope of the Public information officers. ... Writing 'PIO' in IPO does not render the entire RTI application as 'no application' as alleged by the CPIO. The IPO in this case is not invalid.”

HIGH COURT OF DELHI • 2025

स्रोत DLHC010457552017

14 University of Delhi v. Neeraj (W.P.(C) 1095/2017)

HIGH COURT OF DELHI • 2025-08-25 • W.P.(C)/1095/2017

यह मामला RTI Act के तहत निजी छात्र डेटा के प्रकटीकरण से संबंधित था। Delhi High Court ने उन आवेदकों की हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया जो इस मामले में शामिल होना चाहते थे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता (university) का CIC के आदेशों के खिलाफ केस in personam है, न कि कोई सार्वजनिक हित याचिका (PIL)। अदालत ने माना कि हस्तक्षेप करने वालों का कोई कानूनी अधिकार (locus standi) नहीं है और उनके शामिल होने से कार्यवाही का दायरा अनावश्यक रूप से बढ़ेगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि RTI Act की Section 8(1)(j) के तहत व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के मामलों में केवल संबंधित पक्ष ही कानूनी चुनौती देने के हकदार हैं।

निर्णय न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि लोक सूचना अधिकारियों को अधिनियम के दायरे से बाहर जाकर कोई नई छूट गढ़ने या तकनीकी दोषों (जैसे भुगतान पर्ची के आंशिक रूप से अपूर्ण होने) के आधार पर आरटीआई आवेदनों को वापस करने का कोई अधिकार नहीं है; ऐसा करना धारा 18 के तहत शिकायत को आमंत्रित करता है।

“The public authority cannot impose exemptions and substitute new or additional grounds other than those provided in the RTI Act. The Act leaves no such liberty with the public authorities and PIOs to read law beyond what it is stated explicitly. There is absolutely no ambiguity in the Act and tinkering with it in the name W.P.(C) 600/2017 & Connected Matters Page 40 of 175 of larger public interest is beyond the scope of the Public information officers. ... Writing 'PIO' in IPO does not render the entire RTI application as 'no application' as alleged by the CPIO. The IPO in this case is not invalid.”

HIGH COURT OF DELHI • 2025

स्रोत DLHC010457282017

15 Dr. Savita Sheoran v. State Information Commission, Haryana

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2023-11-22 • CWP/24255/2019

यह मामला एक RTI आवेदन से संबंधित है, जिसमें एक शिकायतकर्ता ने 'Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013' के तहत दर्ज शिकायत की प्रति मांगी थी। SPIO और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने इस जानकारी को उक्त अधिनियम की 'Section 16' का हवाला देते हुए देने से इनकार कर दिया था। राज्य सूचना आयोग ने बाद में एक आदेश पारित कर जानकारी देने का निर्देश दिया।

निर्णय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि धारा 19(3) के तहत अपील का निपटान करते समय राज्य सूचना आयोग जैसे अर्ध-न्यायिक निकायों को विस्तृत और कारणों सहित (reasoned) आदेश पारित करने चाहिए। प्रकटीकरण या अस्वीकृति के निर्णयों में स्पष्ट कारणों की अनुपस्थिति विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

“A perusal of Section 19 of the RTI Act would show that under sub-Section 3, an aggrieved person has a right to file the second appeal before the Central Information Commission or the State Information Commission and that, under sub-section (8), the Central Information Commission has been given several powers including the power requiring the public authority to compensate the complainant for any loss or detriment suffered or to impose any of the penalties provided under the Act.”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2023

स्रोत PHHC011056812019

16 Chief Information Commissioner v. State of Manipur

SUPREME COURT OF INDIA • 2011-12-12 • 2011 INSC 842

यह मामला Right to Information Act, 2005 के तहत सूचना न मिलने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई आवेदक Section 6 के तहत सूचना मांगता है और उसे जवाब नहीं मिलता है, तो इसे सूचना देने से इनकार माना जाएगा। ऐसी स्थिति में आवेदक के पास Section 19 के तहत अपील करने का ही वैधानिक उपचार है, न कि Section 18 के तहत शिकायत दर्ज करने का। न्यायालय ने निर्धारित किया कि Section 18 के तहत Information Commission के पास सूचना प्रदान करने का निर्देश देने का क्षेत्राधिकार नहीं है, क्योंकि यह शक्ति केवल Section 19(8) के अंतर्गत अपील प्रक्रिया में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, Section 24 के तहत जारी छूट को पूर्वव्यापी (retrospective) प्रभाव नहीं दिया जा सकता है।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई आवेदक सूचना न मिलने या इनकार से व्यथित है, तो उसका एकमात्र वैधानिक उपचार धारा 19 के तहत अपील दायर करना है। सूचना आयोगों के पास धारा 18 के तहत प्राप्त शिकायत निवारण शक्तियों के अंतर्गत सीधे सूचना प्रकट करने का निर्देश देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

“A right of appeal is a right of entering a superior forum for invoking its aid and interposition to correct errors of the inferior forum. It is a very valuable right. Therefore, when the statute clarifies such a right of appeal that it must be exercised by a person who is aggrieved by reason of refusal to be furnished with the information. ... By virtue of the said notification issued under Section 24 of the Act, the Government of Manipur has notified the exemption of certain organizations of the State Government from the purview of the said Act. This Court makes it clear that those notifications cannot apply retrospectively.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2011

स्रोत ESCR010002032011

17 Tashi Tsering v. The Arunachal Pradesh Information Commission

GAUHATI HIGH COURT • 2024-09-17 • WP(C)/422/2024

यह मामला RTI Act, 2005 के तहत द्वितीय अपील (Second Appeal) की स्वीकार्यता से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने एक PIO से जानकारी मांगी थी, लेकिन First Appellate Authority के समक्ष अपील के बाद भी कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद याचिकाकर्ता ने Arunachal Pradesh Information Commission के पास द्वितीय अपील दायर की, जिसे आयोग ने यह कहकर लौटा दिया कि प्रथम अपील पर कोई विधिवत निर्णय नहीं लिया गया था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि Section 19(3) के तहत द्वितीय अपील दायर की जा सकती है यदि निर्धारित समय सीमा में कोई निर्णय नहीं आया हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अपील दायर करने के लिए प्रथम अपील का अंतिम आदेश अनिवार्य नहीं है और इसे Section 18 के तहत शिकायत (complaint) प्रक्रिया पर निर्भर नहीं किया जा सकता।

निर्णय गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि धारा 19(3) के तहत द्वितीय अपील उस तारीख से 90 दिनों के भीतर सीधे दायर की जा सकती है “जिस दिन प्रथम अपीलीय निर्णय आ जाना चाहिए था”। द्वितीय अपील को केवल इसलिए वापस या अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने कोई लिखित निर्णय पारित नहीं किया।

“From a perusal of the provisions of section 19 (3) of the RTI Act, 2005, it is crystal clear that a Second Appeal is maintainable against the decision by the First Appellate Authority and the appeal shall also lie within 90 days from the date ‘on which the decision should have been made’. Further reading of Section 19 of the RTI Act is also indicative of the fact that an appeal would otherwise lie within 90 days from the date on which a copy of the decision is received by the person seeking information.”

GAUHATI HIGH COURT • 2024

स्रोत GAHC040012462024

18 S. Vijayalakshmi v. Union of India

MADRAS HIGH COURT • 2011-09-09 • WP/14788/2011

यह याचिका भारत सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी, जिसके तहत Central Bureau of Investigation (CBI) को Right to Information Act (RTI Act) की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया था। याचिकाकर्ता का तर्क था कि यह छूट Section 24 of the RTI Act का उल्लंघन है और उससे जाँच एजेंसी के प्रति जवाबदेही खत्म हो जाएगी।

निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आरटीआई अधिनियम लोक प्राधिकरणों पर ऐसी किसी नई सूचना को गढ़ने, गणना करने या अन्य स्रोतों से एकत्रित करने का दायित्व नहीं डालता जो उनके पास उस समय रिकॉर्ड के रूप में मौजूद नहीं है, या जिसे रखना उनके नियमों के तहत अनिवार्य नहीं है।

“The Act seeks to bring about a balance between two conflicting interests, as harmony between them is essential for preserving democracy. One is to bring about transparency and accountability by providing access to information under the control of public authorities. The other is to ensure that the revelation of information, in actual practice, does not conflict with other public interests which include efficient operation of the governments, optimum use of limited fiscal resources and preservation of confidentiality of sensitive information.”

MADRAS HIGH COURT • 2011

स्रोत HCMA010338872011

19 Telecom Regulatory Authority of India v. Kabir Shankar Bose

HIGH COURT OF DELHI • 2018-11-20 • W.P.(C)/12388/2018

यह मामला RTI Act के तहत जानकारी प्राप्त करने के अधिकार से संबंधित है। उत्तरदाता ने अपने फोन के सर्विलांस से संबंधित जानकारी Vodafone से मांगी थी, लेकिन निजी संस्था होने के नाते Vodafone ने इसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उत्तरदाता ने Central Information Commission का रुख किया, जिसने TRAI को निर्देश दिया कि वह सेवा प्रदाता से जानकारी प्राप्त कर उत्तरदाता को उपलब्ध कराए।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि यदि किसी नियामक या लोक प्राधिकरण को किसी अन्य कानून के तहत किसी निजी संस्था (जैसे टेलीकॉम सेवा प्रदाता) से जानकारी हासिल करने का वैधानिक अधिकार है, तो वह जानकारी भी धारा 2(f) के तहत "सूचना" के दायरे में आएगी, और लोक प्राधिकरण का यह दायित्व होगा कि वह उसे प्राप्त कर आवेदक को सौंपे।

“Thus, it is settled that an interpretation which renders an other provision or part thereof redundant or superfluous should be avoided. Information as defined in Section 2 (f) of the RTI Act includes in its ambit, the information relating to any private body which can be assessed by public authority under any law for the time being in force. Therefore, if a public authority has a right and is entitled to access information from a private body, under any other law, it is „information“ as defined in Section 2 (f) of the RTI Act. Thus, it is obligation on the public authority to get the information from the private body and furnish the same to the applicant.”

HIGH COURT OF DELHI • 2018

स्रोत DLHC014175692018

20 Delhi Metro Rail Corporation Ltd. v. Sudhir Vohra

HIGH COURT OF DELHI • 2011-08-01 • LPA/145/2011

यह मामला RTI Act के तहत जानकारी मांगने के अधिकार से संबंधित है। एक वास्तुकार (respondent) ने Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) से Metro Pillar No. 67 के संरचनात्मक चित्र और इंजीनियरिंग विवरण मांगे थे, जो 2009 में ढह गया था। DMRC ने इसे अपनी बौद्धिक संपदा और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए Section 8(1)(a), (d) और (h) के तहत जानकारी देने से मना कर दिया था।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संरचनात्मक इंजीनियरिंग और डिज़ाइन के विस्तृत चित्र प्रकट करने से सार्वजनिक अवसंरचनाओं की सुरक्षा संकट में पड़ सकती है। ऐसी संवेदनशील और रणनीतिक जानकारी को धारा 8(1)(a) और व्यावसायिक गोपनीयता के तहत धारा 8(1)(d) के अंतर्गत रोका जा सकता है।

“The learned Attorney General has not disputed the fact. It is not disputed before us that the appellant Corporation would come within the concept of State. The submission of Mr. Vahanvati, learned Attorney General, is that Sections 8 and 9 are to be read in a conjoint manner for the purpose that while Section 9 lays down that a request for information involving an infringement of copyright subsisting in a person other than in a State may be rejected but a State in cases that come under any of the clauses of Section 8 can refuse to provide such information relating to copyright.”

HIGH COURT OF DELHI • 2011

स्रोत DLHC010135242011

21 K. Chiranjeevi v. Union of India

MADRAS HIGH COURT • 2023-03-01 • WP/24131/2009

यह मामला एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और राजनेता K. Chiranjeevi द्वारा दायर की गई रिट याचिका से संबंधित है। उन्होंने आयकर विभाग के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें अपने आयकर रिटर्न और पारिश्रमिक के विवरणों को RTI Act के तहत एक तीसरे पक्ष को साझा करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने माना कि उत्तरदाता (Appellate Authority) ने आदेश पारित करते समय याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। चूंकि याचिका लंबे समय से लंबित थी, न्यायालय ने मामले को वापस भेजने के बजाय इसे खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना दिया गया आदेश दोषपूर्ण था और कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि जब भी किसी आरटीआई आवेदन में किसी व्यक्ति के निजी आयकर रिटर्न या पारिश्रमिक जैसी बेहद संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है, तो बिना संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किए और उसे सुने बिना प्रकटीकरण का आदेश देना प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है।

“Yet another anomaly emanates from a comparison of the provisions of Section 19(1) to 19(4) as regards the procedure to be followed by the appellate authorities. While Section 19(4) provides for a reasonable opportunity to be afforded to the third party by the CIC/SIC, Section 19(3) which deals with second appeal does not say that the third party, or for that matter even the CPIO/SPIO be heard, in dealing with the appeal. 7 [https://www.mhc.tn.gov.in/judis/W.P.Nos.24131 & 24132 of 2009 14](https://www.mhc.tn.gov.in/judis/W.P.Nos.24131&24132of200914). It transpires that no rules have been specifically provided as regards the procedure relating to appeals under Sections 19(1), 19(2) and 19(3). The Right to Information Rules, 2012 also do not provide any clarity in regard to the procedure for disposal of first appeal.”

MADRAS HIGH COURT • 2023

स्रोत HCMA010168042009

अ स्वीक र ण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।